न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-48/2009

1- भगवानाराम पुत्र गंगाराम
2- बलराम दत्तक पुत्र भूराराम
3- रामेश्वरी पत्नी भूराराम

जाति जाट निवासी ढाणी लोछिया तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- पुरा पुत्र नानूराम जो गलत रूप से अपने आपको महादेव का पुत्र बताता है जाति जाट निवासी ढाणी लोछिया तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

2- सुन्दरी पत्नी पुराराम जाति जाट निवासी ढाणी लोछिया तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

3- पटवारी हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर ।

4- भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

5- सब रजिस्ट्रार तहसील श्रीमाधोपुर ।

6- ग्राम पंचायत सरगोठ जरिये सरपंच तहसील श्रीमाधोपुर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
23-7-2009 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अपीलान्टस्
2-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा- रेस्पोडेन्टस्

निर्णय दिनांक- 16.5.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 2316, 2322 से 2325 कुल किता-5 रकबा 13.53 हैक्टर तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिसके पुराने खसरा नं0 999, 1002, 1011 से 1014, 1016 से 1018 है । इस आराजी में 1/2 हिस्से पर प्रार्थी पुरा व राम व इसका भाई मृतक भूराराम व भाई मृतक गंगा उर्फ गांगा बहिस्सा बराबर काबिज काश्त थे ।किन्तु भूरा परिवार में कर्त्ता खानदान था जो परिवार में बडा था । इस कारण उक्त 1/2 हिस्से की खातेदारी बडे भाई भूरा के नाम गलती से दर्ज हो गई । जबकि तीनों भाईयों का बराबर बराबर हक हिस्सा है ।

इसी प्रकार आराजी पुराने ख0नं0 995, 1007 से 1011, 1028 से 1030 कुल किता-8 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 गत सैटलमेन्ट 1980, -1982, में ख0नं0 2313, 2320, 2321, 2352, 2353, 2575, 2320/3218 कुल किता-7 रकबा 11.45 हैक्टर तन ग्राम सरगोठ में भी 1/2 हिस्से में प्रार्थी पूरा व उसके भाई भूराराम व गंगा उर्फ गांगा बहिस्सा बराबर बर्जुगान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । किन्तु भूराराम परिवार में बडा भाई कर्ता खानदान होने से यह सम्पूर्ण आराजी अकेले भूरा के नाम दर्ज हो गई जबकि इस आराजी पर तीनों भाईयों का समान रूप से कब्जा काश्त है ।

आराजी पुराने ख0नं0 994, 997, 998, 1001, 1003 से 1006 कुल किता -8 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 रिसैटलमेन्ट 1980-82 में खसरा नम्बर 2311, 2314, 2315, 2318, 2319, 2320/2395 तन सरगाठ के 3/8 हिस्से पर प्रार्थी पूरा राम व उसके मृतक भाई भूराराम वगैरू उर्फ गांगा बहिस्सा बराबर बुर्जगान के समय से दर्ज चले आ रहे हैं किन्तु परिवार में बडा एवं कर्त्ता खानदान होने से यह आराजी 3/8 हिस्सा भूराराम के नाम दर्ज हो गई । जबकि यह भूमि तीनों भाईयों के 1/8, 1/8 दर्ज होनी चाहिये । प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में मकान बनाकर आबाद है तथा अप्रार्थी भी इस आराजी में अपने हिस्से में बसे हुये हैं । ख0नं0 2313, 2314, 2315 में आपसी सहमति से प्रार्थीगण ने कुआ

रखा है जिसमें बिजली कनेक्शन ले रखा है । इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा है किन्तु राजस्व रेकार्ड अप्रार्थी के नाम होने से वह इस आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी सं0-2 व 3 इस आराजी को अपने नाम कराने पर आमादा है । जिसका इन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति के लियेे पाबन्द कर दिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 पुराराम पुत्र नानूराम जाट महादेव पुत्र गुमाना का पुत्र या दत्तक पुत्र नहीं है । महादेव पुत्र गुमाना के तीन पुत्र 1- भूरा, 2-गागा उर्फ गंगा 3- नारू हुये । जिसमें नारू अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया । गंगा की पत्नी का नाम सुन्दरी था । गंगा व सुन्दरी के एक पुत्र भगवाना हुआ इसके बाद गंगा की मृत्यु हो गई । मृत्यु हो जाने के बाद सुन्दरी ने पुराराम पुत्र नानूराम से नाता विवाह कर लिया जो पुरा पुत्र नानू है जिसके एक पुत्र गणपत व तीन पुत्रियां प्रभाती संजया व सोनी हुई । भूरा की पहली पत्नी झुमा थी झुमा की मृत्यु हो जाने के बाद भूरा ने रामेश्वरी से पुर्न विवाह कर लिया । जिसके कोई सन्तान नहीं हुई । जिसके कारण उन्होने अपीलान्ट संख्या-2 को उनके माता पिता की सहमति से गोद ले लिया और गोदनामा पंजीकृत करवा लिया ।जिससे भूरा के उत्तराधिकारी अपीलान्ट संख्या-2 व 3 है तथा गंगा के उत्तराधिकारी अपीलान्ट संख्या-1 है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 उक्त सुन्दरी से नाता कर लेने से वह सरगोठ की तन में आकर रहने लग गया । पुरा ने जो जमीन क्रय की है वह भी पुरा पुत्र नानू के नाम से क्रय की है । बिजली का कनेक्शन भी पुरा पुत्र नानू के नाम से ही लिया है । निर्वाचन नामावली भी पुरा पुत्र नानू के नाम से ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने यह दावा एवं प्रार्थना

के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक रेकार्ड़ेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है । भूरा पुत्र महादेव का देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोडेन्ट ने यह दावा अपने आपको पुरा पुत्र महादेव बताकर भूरा पुत्र महादेव के स्थान पर पुरा पुत्र महादेव दर्ज कराने का सर्व गलत पेश किया है इस बात में पुरा सफल भी हो गया था बाद में जांच करवाने पर स्पष्ट हुआ कि पुरा पुत्र महादेव नहीं होकर पुरा पुत्र नानू है । भूरा पुत्र महादेव का स्वर्गवास हो चुका ।इसके बाद पुर्नविचार कर नामान्तरकरण पुरा पुत्र महादेव के स्थान पर भूरा पुत्र महादेव के वारिसान के नाम दर्ज किया। जिस के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने कोई अपील नहीं की है । रेस्पोडेन्टसंख्या-1 ने बेईमानी से अपीलान्ट सं0-2 के हक में पंजीकृत गोदनामा को निरस्त करवाने का अनाधिकृत आपराधिक कृत्य करते हुये अपीलान्ट संख्या-2 को मुगालता देकर उप पंजीयक कार्यालय में ले जाकर उक्त गोदनामा को निरस्त करने हेतु लिखवा कर रेस्पोडेन्ट सं0-2 के अंगूठा निशानी धोखा देकर करवाली जबकि धारा-15 दत्तक ग्रहण अधिनियम ऐसे कानून निरस्त नहीं होता है। ऐसा कृत्य शून्य एवं प्रभावहीन की संज्ञा में आता है। इसके बाद भी अपीलान्ट संख्या-3 ने शपथ पत्र पेश कर अपीलान्ट संख्या-2 को अपना दत्तक पुत्र होना माना है तथा विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या-2 व 3 के नाम स्वीकार करने की मांग की है । पुरा ने पूर्व में जो वाद किया वह खारिज हो चुका । पूराराम अपने पूर्व के कथनों से पाबन्द हैं। पूर्व वाद 00 खारिज हो जाने के कारण यह वाद चलने योग्य ही नहीं है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित कर उभयपक्षों को पाबन्द किये जाने का जो आदेश दिया है वह कानून के विपरित ह है ।अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

मु.प्रबन्ध अधिकारी पदेन ...

बहस बगौर विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2057 से 2060 में ख0नं0 2314, 2318, 2319कुल किता-3 रकबा 0.21 हैक्टर में भगवाना पुत्र गंगा 1/8 हिस्सा मु0 संन्दरी बेवा नाथूराम, सरदारमल, बनवारी लाल पिता0 नाथूराम 1/4, भूरा पुत्र महादेव हि0 1/4 दर्ज है । ख0नं0 2311, 2315, 2390/3295 कुल किता-3 रकबा 2.88 हैक्टर सुन्दरी बेवा नाथू, सरदारमल, बनवारीलाल पि0 नाथूराम हि0 1/4 एवं ... पुत्र महादेव हि0 1/4 दर्ज है । ख0नं0 2316, 2322, 2323, 2324, 2325 कुल किता-5 रकबा 13.53 हैक्टर में भूरा पुत्र महादेव 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है । ख0नं0 2313, 2320, 2321, 2352, 2353, 2575, 2320/3218 कुल किता-7 रकबा 11.45 हैक्टर में भगवाना पुत्र गंगाराम हि0 1/3 भूरा पुत्र महादेव 2/3 हिस्सा दर्ज है । इस प्रकार विवादित आराजी में भूरा पुत्र महादेव का हिस्सा बराबर दर्ज है । अर्थात अपीलान्ट संख्या-1 का पिता एवं अपीलान्ट संख्या-2 का दत्तक पिता एवं अपीलान्ट संख्या-3 का पिता विवादित आराजी का सहखातेदार राजस्व रेकार्ड से साबित है । जिससे अपीलान्ट का प्रथम दृ-टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन स्प-ट है । जमाबन्दी सं0-2027 से 2030 में खाता संख्या-331/300 में भूरा पुत्र महादेव 1/4 हिस्सा, तथा खतौनी संख्या--332/301 में भूरा पुत्र महादेव 2/3 हिस्से का खातेदार दर्ज है । खसरा गिरदावरी सं0- 2032 में पुरा पुत्र महादेव 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है । उपकृषक के कालम में दर्ज है लगान की समस्त रसीदे भूरा पुत्र महादेव के नाम से दर्ज है । मौका रिपोर्ट में भी जो दिनांक 24 व 25-3-2009 को तैयार की गई है । उसमें पुरा पुत्र महादेव बउत्तरी पूर्वी कौणे में तथा भगवाना व सरदार तथा रामे॰वरीदेवी दक्षिणी प॰चमी कौणे में बने मकानों में निवास करते हैं । दावा संख्या-41/97 पूराराम बनाम रामे॰वरी आदि पेश किया जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ जिसमें भूराराम पुत्र महादेव का नाम रेकार्ड से हटाकर पुरा राम वादी का नाम दर्ज करने का पेश किया । दिनांक 23-5-2002 को यह दावा अदम हाजरी में

खारिज हो गया । जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश किया जाना साबित नहीं है । ग्राम पंचायत ने दिनांक 29-5-99 को सजरा खानदान का प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें ए गुमाना के दो पुत्र महादेव व नानू हुये महादेव के 3 पुत्र भूरा, गंगू व नारू हुये जिसमें नारू अविवाहित फौत हुआ । भूरा की पत्नी झूमा फौत होने पर दूसरा विवाह रामेश्वरी अपीलान्ट संख्या-3 से किया। जिसके बलराम अपीलान्ट संख्या-2 दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये सजरा में महादेव के सजरा खानदान में नहीं है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने सुन्दरी से नाता किया है जो बतौर पत्नी पुरा के साथ रह रही है । जिसके बाबत ग्राम पंचायत ने दिनांक 29-5-2009 को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है ।इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त मौका रिपोर्ट से साबित है तथा दावा संख्या-41/97 पूरा बनाम रामेश्वरी में राजीनामा में भूरा पुत्र महादेव के स्थाना पर पुराराम पुत्र महादेव का नाम दर्ज किये जाने का राजीनामा किया। यह दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है ।यह दावा भी विवादित आराजी के बाबत है अर्थात रेस्पोडेन्ट इसी आराजी के बाबत बारबार दावा तथ्यों को बदल बदल कर पेश कर रहा है । पूर्व के दावे में भूरा पुत्र महादेव के स्थान पर पुराराम पुत्र महादेव का नाम दर्ज किये जाने का कथन किया तथा इस दावे में भूराराम को महादेव का बडा पुत्र तथा परिवार का कर्त्ता खानदान बताकर राजस्व रेकार्ड में अकेले के नाम से इन्द्राज होने पर अपना हिस्सा बताया है ।जो एक दूसरे के विपरित है ।विवादित आराजी कभी भी महादेव के खातेदारी में दर्ज रही हो ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड रेस्पोडेन्ट ने पेश नहीं किया है । बल्कि भूराराम शुरू से विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार रहा है । विवादित आराजी पर काबिज रहा है तथा एक सहखातेदार काश्तकार है । जिससे अपीलान्ट का सुविधा का सन्तुलन स्पष्ट है तथा एक रेकार्डेड काबित सहखातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में ही साबित है । अतएव अदालत मातहत ने एक ए सहखातेदार काश्तकार को बिना किसी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

आधार के रेस्पोडेन्ट के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है । रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट साबित होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खंण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 23-7-2009 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.5.2018 को सुनाया गया ।

16/5/18

भंवरलाल मेहरड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर